

**निदेशालय,
होम्योपैथिक चिकित्सा सेवायें, उत्तराखण्ड।**

पत्रांक: /नि०हो०/स्था०-628/2023-24,

दिनांक:- ०८ जून, 2023

कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या:-12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017 दिनांक 05 जनवरी, 2018 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण विधेयक, 2017 एवं तत्क्रम में निर्गत शासनादेश दिनांक 10 मई, 2023 एवं निदेशालय के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1290/नि०हो०/स्था०-628/2022-23, दिनांक 28 मार्च, 2023 द्वारा गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर, निम्न तालिका में उल्लिखित चिकित्साधिकारी को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-3 में उल्लिखित वर्तमान तैनाती स्थान से स्तम्भ-4 नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र० सं०	चिकित्साधिकारी का नाम	वर्तमान तैनाती स्थान	नवीन तैनाती स्थान	स्थानान्तरण किये जाने की सम्भावित तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
01	डा० पवन कुमार	रा०हो०चि० हरीशताल, नैनीताल	रा०हो०चि० श्यामपुर, हरिद्वार	स्थानान्तरण अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार पात्रता पूर्ण करने पर	जनहित

उक्त स्थानान्तरित चिकित्साधिकारी आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के भीतर अपने नवीन तैनाती स्थल पर प्रत्येक दशा में योगदान देना सुनिश्चित करें। स्थानान्तरित चिकित्साधिकारी का माह जून, 2023 का वेतन नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जायेगा।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

(डा० जे० एल० फिरमाल)
प्रभारी निदेशक,

संख्या: 193 /नि०हो०/स्थानान्तरण-628/2023-24, तददिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, आयुष एवं आयुष शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
3. जिलाधिकारी, नैनीताल/हरिद्वार।
4. जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, नैनीताल/हरिद्वार को उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ।
5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल/हरिद्वार।
6. संबंधित चिकित्साधिकारी द्वारा जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, नैनीताल।
7. व्यक्तिगत पत्रावली।
8. गार्ड फाईल।

(डा० जे० एल० फिरमाल)
प्रभारी निदेशक।

**निदेशालय,
होम्योपैथिक चिकित्सा सेवायें, उत्तराखण्ड।**

पत्रांक: /नि०हो०/स्था०-628/2023-24,

दिनांक:- ०४ जून, 2023

कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या:-12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017 दिनांक 05 जनवरी, 2018 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण विधेयक, 2017 एवं तत्क्रम में निर्गत शासनादेश दिनांक 10 मई, 2023 एवं निदेशालय ज्ञाप संख्या 1290/नि०हो०/स्था०-628/2022-23, दिनांक 28 मार्च, 2023 द्वारा गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर, निम्न तालिका में उल्लिखित चिकित्साधिकारी को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-3 में उल्लिखित वर्तमान तैनाती स्थान से स्तम्भ-4 नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र० सं०	चिकित्साधिकारी का नाम	वर्तमान तैनाती स्थान	नवीन तैनाती स्थान	स्थानान्तरण किये जाने की सम्भावित तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
01	डा० अरुण कुमार	रा०हो०चि० जोशीमठ, चमोली	रा०हो०चि० सितारगंज, ऊधमसिंह नगर	स्थानान्तरण अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार पात्रता पूर्ण करने पर	जनहित

उक्त स्थानान्तरित चिकित्साधिकारी आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के भीतर अपने नवीन तैनाती स्थल पर प्रत्येक दशा में योगदान देना सुनिश्चित करें। स्थानान्तरित चिकित्साधिकारी का माह जून, 2023 का वेतन नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जायेगा।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

(डा० जे० एल० फिरमाल)
प्रभारी निदेशक,

संख्या: 194 /नि०हो०/स्थानान्तरण-628/2023-24, तददिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, आयुष एवं आयुष शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
3. जिलाधिकारी, चमोली/ऊधमसिंह नगर।
4. जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, चमोली/ऊधमसिंह नगर को उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ।
5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, चमोली/ऊधमसिंह नगर।
6. संबंधित चिकित्साधिकारी द्वारा जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, चमोली।
7. व्यक्तिगत पत्रावली।
8. गार्ड फाईल।

(डा० जे० एल० फिरमाल)
प्रभारी निदेशक।

**निदेशालय,
होम्योपैथिक चिकित्सा सेवायें, उत्तराखण्ड।**

पत्रांक: /नि०हो०/स्था०-628/2023-24,

दिनांक:- ०४ जून, 2023

कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या:-12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017 दिनांक 05 जनवरी, 2018 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण विधेयक, 2017 एवं तत्क्रम में निर्गत शासनादेश दिनांक 10 मई, 2023 एवं निदेशालय ज्ञाप संख्या 1290/नि०हो०/स्था०-628/2022-23, दिनांक 28 मार्च, 2023 द्वारा गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर, निम्न तालिका में उल्लिखित चिकित्साधिकारी को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-3 में उल्लिखित वर्तमान तैनाती स्थान से स्तम्भ-4 नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र० सं०	चिकित्साधिकारी का नाम	वर्तमान तैनाती स्थान	नवीन तैनाती स्थान	स्थानान्तरण किये जाने की सम्भावित तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
01	डा० रजनी भट्ट	रा०हो०चि० पदमपुरी, नैनीताल	रा०हो०चि० रामनगर, नैनीताल	स्थानान्तरण अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार पात्रता पूर्ण करने पर	जनहित

उक्त स्थानान्तरित चिकित्साधिकारी आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के भीतर अपने नवीन तैनाती स्थल पर प्रत्येक दशा में योगदान देना सुनिश्चित करें। स्थानान्तरित चिकित्साधिकारी का माह जून, 2023 का वेतन नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जायेगा।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

(डा० जे० एल० फिरमाल)
प्रभारी निदेशक,

संख्या: 195/नि०हो०/स्थानान्तरण-628/2023-24, तददिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, आयुष एवं आयुष शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
3. जिलाधिकारी, नैनीताल।
4. जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, नैनीताल को उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ।
5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, हल्द्वानी नैनीताल।
6. संबंधित चिकित्साधिकारी द्वारा जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, नैनीताल।
7. व्यक्तिगत पत्रावली।
8. गार्ड फाईल।

(डा० जे० एल० फिरमाल)
प्रभारी निदेशक।

**निदेशालय,
होम्योपैथिक चिकित्सा सेवायें, उत्तराखण्ड।**

पत्रांक: /नि०हो०/स्था०-628/2023-24,

दिनांक:-०४ जून, 2023

कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या:-12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017 दिनांक 05 जनवरी, 2018 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण विधेयक, 2017 एवं तत्क्रम में निर्गत शासनादेश दिनांक 10 मई, 2023 एवं निदेशालय ज्ञाप संख्या 1290/नि०हो०/स्था०-628/2022-23, दिनांक 28 मार्च, 2023 द्वारा गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर, निम्न तालिका में उल्लिखित चिकित्साधिकारी को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-3 में उल्लिखित वर्तमान तैनाती स्थान से स्तम्भ-4 नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र० सं०	चिकित्साधिकारी का नाम	वर्तमान तैनाती स्थान	नवीन तैनाती स्थान	स्थानान्तरण किये जाने की सम्भावित तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
01	डा० शैलेन्द्र प्रसाद उनियाल	रा०हो०चि०, ओडाडा, टिहरी	रा०हो०चि०, जिला चिकित्सालय, टिहरी गढ़वाल	स्थानान्तरण अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार पात्रता पूर्ण करने पर	निजी अनुरोध

उक्त स्थानान्तरित चिकित्साधिकारी आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के भीतर अपने नवीन तैनाती स्थल पर प्रत्येक दशा में योगदान देना सुनिश्चित करें। स्थानान्तरित चिकित्साधिकारी का माह जून, 2023 का वेतन नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जायेगा।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

(डा० जे० एल० फिरमाल)
प्रभारी निदेशक,

संख्या: 196 /नि०हो०/स्थानान्तरण-628/2023-24, तददिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, आयुष एवं आयुष शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
3. जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
4. जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, टिहरी गढ़वाल को उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ।
5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
6. संबंधित चिकित्साधिकारी द्वारा जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
7. व्यक्तिगत पत्रावली।
8. गार्ड फाईल।

(डा० जे० एल० फिरमाल)
प्रभारी निदेशक।

**निदेशालय,
होम्योपैथिक चिकित्सा सेवायें, उत्तराखण्ड।**

पत्रांक: /नि०हो०/स्था०-628/2023-24,

दिनांक:- ०४ जून, 2023

कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या:-12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017 दिनांक 05 जनवरी, 2018 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण विधेयक, 2017 एवं तत्क्रम में निर्गत शासनादेश दिनांक 10 मई, 2023 एवं निदेशालय के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1290/नि०हो०/स्था०-628/2022-23, दिनांक 28 मार्च, 2023 द्वारा गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर, निम्न तालिका में उल्लिखित चिकित्साधिकारी को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-3 में उल्लिखित वर्तमान तैनाती स्थान से स्तम्भ-4 नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र० सं०	चिकित्साधिकारी का नाम	वर्तमान तैनाती स्थान	नवीन तैनाती स्थान	स्थानान्तरण किये जाने की सम्भावित तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
01	डा० आनन्द कुमार	रा०हो०चि०, काशीपुर, ऊधमसिंह नगर	रा०हो०चि०, रानीखेत, अल्मोड़ा	स्थानान्तरण अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार पात्रता पूर्ण करने पर	निजी अनुरोध

उक्त स्थानान्तरित चिकित्साधिकारी आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के भीतर अपने नवीन तैनाती स्थल पर प्रत्येक दशा में योगदान देना सुनिश्चित करें। स्थानान्तरित चिकित्साधिकारी का माह जून, 2023 का वेतन नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जायेगा।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

(डा० जे० एल० फिरमाल)
प्रभारी निदेशक,

संख्या: 197 /नि०हो०/स्थानान्तरण-628/2023-24, तददिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, आयुष एवं आयुष शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
3. जिलाधिकारी, ऊधमसिंह नगर/अल्मोड़ा।
4. जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, ऊधमसिंह नगर/अल्मोड़ा को उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ।
5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, ऊधमसिंह नगर/अल्मोड़ा।
6. संबंधित चिकित्साधिकारी द्वारा जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, ऊधमसिंह नगर।
7. व्यक्तिगत पत्रावली।
8. गार्ड फाईल।

(डा० जे० एल० फिरमाल)
प्रभारी निदेशक।

**निदेशालय,
होम्योपैथिक चिकित्सा सेवायें, उत्तराखण्ड।**

पत्रांक: /नि०हो०/स्था०-628/2023-24,

दिनांक:- ०४ जून, 2023

कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या:-12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017 दिनांक 05 जनवरी, 2018 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण विधेयक, 2017 एवं तत्क्रम में निर्गत शासनादेश दिनांक 10 मई, 2023 एवं निदेशालय ज्ञाप संख्या 1290/नि०हो०/स्था०-628/2022-23, दिनांक 28 मार्च, 2023 द्वारा गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर, निम्न तालिका में उल्लिखित चिकित्साधिकारी को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-3 में उल्लिखित वर्तमान तैनाती स्थान से स्तम्भ-4 नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र० सं०	चिकित्साधिकारी का नाम	वर्तमान तैनाती स्थान	नवीन तैनाती स्थान	स्थानान्तरण किये जाने की सम्भावित तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
01	डा० प्रसन्न कुमार निगम	रा०हो०चि०, जिला चिकित्सालय, अल्मोड़ा	रा०हो०चि०, द्वाराहाट, अल्मोड़ा	स्थानान्तरण अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार पात्रता पूर्ण करने पर	निजी अनुरोध

उक्त स्थानान्तरित चिकित्साधिकारी आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के भीतर अपने नवीन तैनाती स्थल पर प्रत्येक दशा में योगदान देना सुनिश्चित करें। स्थानान्तरित चिकित्साधिकारी का माह जून, 2023 का वेतन नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जायेगा।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

(डा० जे० एल० फिरमाल)
प्रभारी निदेशक,

संख्या: 198 /नि०हो०/स्थानान्तरण-628/2023-24, तददिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, आयुष एवं आयुष शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
3. जिलाधिकारी, अल्मोड़ा।
4. जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, अल्मोड़ा को उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ।
5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, अल्मोड़ा।
6. संबंधित चिकित्साधिकारी द्वारा जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, अल्मोड़ा।
7. व्यक्तिगत पत्रावली।
8. गार्ड फाईल।

(डा० जे० एल० फिरमाल)
प्रभारी निदेशक।

**निदेशालय,
होम्योपैथिक चिकित्सा सेवायें, उत्तराखण्ड।**

पत्रांक: /नि०हो०/स्था०-628/2023-24,

दिनांक:- ०८ जून, 2023

कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या:-12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017 दिनांक 05 जनवरी, 2018 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण विधेयक, 2017 एवं तत्क्रम में निर्गत शासनादेश दिनांक 10 मई, 2023 एवं निदेशालय ज्ञाप संख्या 1290/नि०हो०/स्था०-628/2022-23, दिनांक 28 मार्च, 2023 द्वारा गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर, निम्न तालिका में उल्लिखित चिकित्साधिकारी को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-3 में उल्लिखित वर्तमान तैनाती स्थान से स्तम्भ-4 नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र० सं०	चिकित्साधिकारी का नाम	वर्तमान तैनाती स्थान	नवीन तैनाती स्थान	स्थानान्तरण किये जाने की सम्भावित तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
01	डा० मीनाक्षी शर्मा	रा०हो०चि०, रामनगर, नैनीताल	रा०हो०चि०, पदमपुरी, नैनीताल	स्थानान्तरण अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार पात्रता पूर्ण करने पर	निजी अनुरोध

उक्त स्थानान्तरित चिकित्साधिकारी आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के भीतर अपने नवीन तैनाती स्थल पर प्रत्येक दशा में योगदान देना सुनिश्चित करें। स्थानान्तरित चिकित्साधिकारी का माह जून, 2023 का वेतन नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जायेगा।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

(डा० जे० एल० फिरमाल)
प्रभारी निदेशक,

संख्या: 199 /नि०हो०/स्थानान्तरण-628/2023-24, तददिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, आयुष एवं आयुष शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
3. जिलाधिकारी, नैनीताल।
4. जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, नैनीताल को उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ।
5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल।
6. संबंधित चिकित्साधिकारी द्वारा जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, नैनीताल।
7. व्यक्तिगत पत्रावली।
8. गार्ड फाईल।

(डा० जे० एल० फिरमाल)
प्रभारी निदेशक।

**निदेशालय,
होम्योपैथिक चिकित्सा सेवायें, उत्तराखण्ड।**

पत्रांक: /नि०हो०/स्था०-628/2023-24,

दिनांक:- ०२ जून, 2023

कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या:-12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017 दिनांक 05 जनवरी, 2018 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण विधेयक, 2017 एवं तत्क्रम में निर्गत शासनादेश दिनांक 10 मई, 2023 एवं निदेशालय ज्ञाप संख्या 1290/नि०हो०/स्था०-628/2022-23, दिनांक 28 मार्च, 2023 द्वारा गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर, निम्न तालिका में उल्लिखित चिकित्साधिकारी को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-3 में उल्लिखित वर्तमान तैनाती स्थान से स्तम्भ-4 नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र० सं०	चिकित्साधिकारी का नाम	वर्तमान तैनाती स्थान	नवीन तैनाती स्थान	स्थानान्तरण किये जाने की सम्भावित तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
01	डा० शैलेन्द्र पाण्डेय	रा०हो०चि०, जिला चिकित्सालय, टिहरी गढ़वाल	रा०हो०चि०, मणिपुर, रुद्रप्रयाग	स्थानान्तरण अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार पात्रता पूर्ण करने पर	जनहित

डा० शैलेन्द्र पाण्डेय, चिकित्साधिकारी, शासन के कार्यालय आदेश संख्या-627/XXXX/2015-84/2010 दिनांक 03 फरवरी, 2015 के अनुसार पूर्व की भांति होम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड, देहरादून में रजिस्ट्रार के पद पर तैनात रहेंगे।

उक्त स्थानान्तरित चिकित्साधिकारी का माह जून, 2023 का वेतन स्तम्भ-4 पर अंकित स्थान से आहरित किया जायेगा।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

(डा० जे० एल० फिरमाल)
प्रभारी निदेशक,

संख्या: 201 /नि०हो०/स्थानान्तरण-628/2023-24, तदुदिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, आयुष एवं आयुष शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
3. जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल/रुद्रप्रयाग।
4. जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, टिहरी गढ़वाल/रुद्रप्रयाग को उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ।
5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, टिहरी गढ़वाल/रुद्रप्रयाग।
6. संबंधित चिकित्साधिकारी द्वारा जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, टिहरी गढ़वाल
7. व्यक्तिगत पत्रावली।
8. गार्ड फाईल।

(डा० जे० एल० फिरमाल)
प्रभारी निदेशक।

**निदेशालय,
होम्योपैथिक चिकित्सा सेवायें, उत्तराखण्ड।**

पत्रांक: /नि0हो0/स्था0-628/2023-24,

दिनांक:- ०४ जून, 2023

कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या:-12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017 दिनांक 05 जनवरी, 2018 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण विधेयक, 2017 एवं तत्क्रम में निर्गत शासनादेश दिनांक 10 मई, 2023 एवं निदेशालय के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1290/नि0हो0/स्था0-628/2022-23, दिनांक 28 मार्च, 2023 द्वारा गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर, निम्न तालिका में उल्लिखित चिकित्साधिकारी को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-3 में उल्लिखित वर्तमान तैनाती स्थान से स्तम्भ-4 नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र0 सं0	चिकित्साधिकारी का नाम	वर्तमान तैनाती स्थान	नवीन तैनाती स्थान	स्थानान्तरण किये जाने की सम्भावित तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
01	डा0 राम प्रकाश डिमरी	रा0हो0चि0 भगवानपुर, हरिद्वार	रा0हो0चि0, जिला चिकित्सालय, रुद्रप्रयाग	स्थानान्तरण अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार पात्रता पूर्ण करने पर	जनहित

उक्त स्थानान्तरित चिकित्साधिकारी आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के भीतर अपने नवीन तैनाती स्थल पर प्रत्येक दशा में योगदान देना सुनिश्चित करें। स्थानान्तरित चिकित्साधिकारी का माह जून, 2023 का वेतन नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जायेगा।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

(डा0 जे0 एल0 फिरमाल)
प्रभारी निदेशक,

संख्या: 202 /नि0हो0/स्थानान्तरण-628/2023-24, तददिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, आयुष एवं आयुष शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
3. जिलाधिकारी, हरिद्वार/रुद्रप्रयाग।
4. जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, हरिद्वार/रुद्रप्रयाग को उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ।
5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, हरिद्वार/रुद्रप्रयाग।
6. संबंधित चिकित्साधिकारी द्वारा जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, हरिद्वार।
7. व्यक्तिगत पत्रावली।
8. गार्ड फाईल।

(डा0 जे0 एल0 फिरमाल)
प्रभारी निदेशक।

**निदेशालय,
होम्योपैथिक चिकित्सा सेवायें, उत्तराखण्ड।**

पत्रांक: /नि०हो०/स्था०-628/2023-24,

दिनांक:-०८ जून, 2023

कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या:-12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017 दिनांक 05 जनवरी, 2018 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण विधेयक, 2017 एवं तत्क्रम में निर्गत शासनादेश दिनांक 10 मई, 2023 एवं निदेशालय ज्ञाप संख्या 1290/नि०हो०/स्था०-628/2022-23, दिनांक 28 मार्च, 2023 द्वारा गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर, निम्न तालिका में उल्लिखित चिकित्साधिकारी को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-3 में उल्लिखित वर्तमान तैनाती स्थान से स्तम्भ-4 नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र० सं०	चिकित्साधिकारी का नाम	वर्तमान तैनाती स्थान	नवीन तैनाती स्थान	स्थानान्तरण किये जाने की सम्भावित तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
01	डा० प्रदीप वर्मा	रा०हो०चि०, खानपुर, हरिद्वार	रा०हो०चि०, काटल, टिहरी गढ़वाल	स्थानान्तरण अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार पात्रता पूर्ण करने पर	जनहित

उक्त स्थानान्तरित चिकित्साधिकारी आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के भीतर अपने नवीन तैनाती स्थल पर प्रत्येक दशा में योगदान देना सुनिश्चित करें। स्थानान्तरित चिकित्साधिकारी का माह जून, 2023 का वेतन नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जायेगा।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

(डा० जे० एल० फिरमाल)
प्रभारी निदेशक;

संख्या: २०० /नि०हो०/स्थानान्तरण-628/2023-24, तददिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, आयुष एवं आयुष शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
3. जिलाधिकारी, हरिद्वार/टिहरी गढ़वाल।
4. जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, हरिद्वार/टिहरी गढ़वाल को उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ।
5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, हरिद्वार/टिहरी गढ़वाल।
6. संबंधित चिकित्साधिकारी द्वारा जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, हरिद्वार।
7. व्यक्तिगत पत्रावली।
8. गार्ड फाईल।

(डा० जे० एल० फिरमाल)
प्रभारी निदेशक।

**निदेशालय,
होम्योपैथिक चिकित्सा सेवायें, उत्तराखण्ड।**

पत्रांक: /नि०हो०/स्था०-628/2023-24,

दिनांक:-०८ जून, 2023

कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या:-12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017 दिनांक 05 जनवरी, 2018 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण विधेयक, 2017 एवं तत्क्रम में निर्गत शासनादेश दिनांक 10 मई, 2023 एवं निदेशालय ज्ञाप संख्या 1290/नि०हो०/स्था०-628/2022-23, दिनांक 28 मार्च, 2023 द्वारा गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर, निम्न तालिका में उल्लिखित चिकित्साधिकारी को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-3 में उल्लिखित वर्तमान तैनाती स्थान से स्तम्भ-4 नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र० सं०	चिकित्साधिकारी का नाम	वर्तमान तैनाती स्थान	नवीन तैनाती स्थान	स्थानान्तरण किये जाने की सम्भावित तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
01	डा० अरुणा रानी	रा०हो०चि०, काटल, टिहरी गढ़वाल	रा०हो०चि०, खानपुर, हरिद्वार	स्थानान्तरण अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार पात्रता पूर्ण करने पर	जनहित

उक्त स्थानान्तरित चिकित्साधिकारी आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के भीतर अपने नवीन तैनाती स्थल पर प्रत्येक दशा में योगदान देना सुनिश्चित करें। स्थानान्तरित चिकित्साधिकारी का माह जून, 2023 का वेतन नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जायेगा।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

(डा० जे० एल० फिरमाल)
प्रभारी निदेशक,

संख्या: २२० /नि०हो०/स्थानान्तरण-628/2023-24, तददिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, आयुष एवं आयुष शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
3. जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल/हरिद्वार।
4. जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, टिहरी गढ़वाल/हरिद्वार को उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ।
5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, टिहरी गढ़वाल/हरिद्वार।
6. संबंधित चिकित्साधिकारी द्वारा जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
7. व्यक्तिगत पत्रावली।
8. गार्ड फाईल।

(डा० जे० एल० फिरमाल)
प्रभारी निदेशक।